1-6

छत्तीसगढ़ शासन
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनाँक 17 सितंबर 2004

क्रमांक/डी- 6169 /89/2004/आजावि : सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक फ-1/प्र. स./सा.प्र.वि./2004 दिनॉक 2-09-04 के अनुसरण में राज्य शासन एतद् द्वारा गुरुघासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार नियम 2001 को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार सम्मान नियम 2004 बनाता है।

गुरुघासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान 2004

प्रस्तावना : छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के महान संत गुरुघासी दास की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का सम्मान स्थापित करते हुए उसके विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "गुरुघासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित सम्मान नियम 2004" है।

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनाँक से प्रभावशील होगें।

2. परिभाषा :-

इन नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(अ) व्यक्तियों/संस्था से तात्पर्य दो व्यक्तियों/संस्थाओं से है।

(ब) निर्णयक मंडल से अभिप्राय: इन नियमों को नियम -4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है।

3. सम्मान का स्वरुप :-

सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो व्यक्तियों/संस्थाओं को गरुघासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार राशि रुपये 100000 (रुपये एक लाख) प्रति व्यक्ति / संस्था को नगद तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रुप में दी जायेगी। सम्मान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो व्यक्तियों / संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा। प्रशस्ति पत्र अलग-अलग दिया जावेगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन :-

राज्य शासन सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यत: पाँच सदस्यीय होगा, का गठन करेगा।

5. **निर्णायक मंडल की शक्तियाँ :-** (1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा।

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा। जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरुप पाये।

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए दो व्यक्तियों /संस्थाओं का चयन होगा।

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी। एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गयी लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी गेड-ए, के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. **चयन की प्रक्रिया :-** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों/ संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी।

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टयाँ आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जावेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टि विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा

(2) प्रविष्टि आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाये।

(क) संस्था /व्यक्ति का पूर्ण परिचय

(ख) समाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों को सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

(घ) समाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति(सत्यापित)।

(च) समाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं /ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

(छ) संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का प्राप्त पत्र।

(ज) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की सहमति।

(झ) ज्यूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/ व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी।

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्रायः यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों /निष्कर्षों/ प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियाँ को पंजीकृत किया जावेगा।

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति/ संस्था का नाम व पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम/पता तथा संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

(7) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टियों के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी जिसमें निम्नलिखित जानकारी का समावेश होगा।

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता

(2) प्रस्तावक

(3) सम्मान विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा।

(4) प्राप्त पुरस्कार / सम्मान

(5) प्रमाण / टिप्पणियाँ /आलेख/ प्रकाशन

(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है /नहीं है

(7) समाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों उत्थान हेतु किये गये कार्य की विस्तृत उपब्धियाँ।

(8) व्यक्ति/संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने का प्रमाण-पत्र।

7. **चयन का मापदण्ड :-** सम्मान के लिए सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति / संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड रहेंगे।

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा छत्तीसगढ़ में सामाजिक चेतना चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल में संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा है।और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।

(2) ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा। जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के सम्मान की जूरी का सदस्य हो।

(3) सामाजिक चेतना जागृत करने एवं दलितों के उत्थान के लिए पूर्व में अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था / व्यक्ति भी इस सम्मान के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसी संस्था या व्यक्ति समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती हो।

(4) छत्तीसगढ़ शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी पात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरुपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी।

(5) सम्मान के लिए संस्था/व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आकलन होगा।

(6) संस्था /व्यक्ति को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों का उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकालिन कार्य किया है। और वह अब भी इस दिशा में सक्रिय है अर्थात सम्मान भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा। उसके लिए कार्य की परिणाम मूलक निरंतरता आवश्यक है।

(7) संस्था / व्यक्ति के योगदान का सम्बंधित कार्य क्षेत्र एवं दलित लोगों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।

(8) परंपरागत तौर पर तरीकों से अलग हट कर नवाचार अर्थात नई पद्धति। नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता में अपनाया गया है।

(9) ज्यूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था / व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आकलन करने हेतु व्यक्ति/ संस्था को लिखित सहमति देनी होगी।

(10) सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी विचार करेगी। निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीन प्रमाण-पत्र पर्याप्त माना जावेगा।

8. **सम्मान की घोषणा :-** निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रुप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों / संस्थाओं की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9. **अलंकरण समारोहः-** सम्मान का अलंकरण समारोह राज्य शासन द्वारा आयोजित होगा। जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति/संस्था अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक भी साथ में ला सकेंगे जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. **व्यय की सम्पूर्ति :-** सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थायों पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी।

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तनः-** राज्य शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है के निराकरण के अधिकार भी सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में वेष्ठित होंगे।

12 अन्य दायित्वों का निर्वहन :- प्राप्त प्रविष्टियाँ एवं चयनित व्यक्ति/संस्था का रिकार्ड अलग-अलग जिल्द में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा संधारित किया जावेगा। चयनित व्यक्तिं/संस्था के सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु किये गये कार्यों के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी। जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरुप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. सी. दलेई)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-// अधिसूचना //-

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2007

क्रमांक/ 10150 /89/2007/25-2/आजाक : विभाग के आदेश क्रमांक/6588/89/-25-2 दिनांक 16 जुलाई 07 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति/संस्था को गुरु घासीदास समाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित किया गया था.

2- राज्य शासन, एतद् द्वारा उपर्युक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित करता है कि पुरस्कार राशि के रूप में अंकित रुपए 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) के स्थान पर रुपए 2.00 (रुपए दो लाख मात्र) पढ़ा जावे.

3- यह आदेश राज्योत्सव वर्ष 2007 एवं भविष्य में दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास ... रायपुर छत्तीसगढ़ 3345 दि. 26/11/07

D.C.(K)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(चन्द्रकांत उइके)
उप सचिव

पृ.क्रमांक/ 10151 /89/2007/25-2/आजाक रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2007

प्रतिलिपि,

1. माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग, मंत्रालय,रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,रायपुर
4. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
5. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
6. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. आयुक्त, जन.संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. संचालक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनाँदगाँव को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
10. आर्डर बुक

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

क्रमांक एफ 10– 53/2009/1/5

प्रति, रायपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2009

शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:–राज्य शासन द्वारा घोषित राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कारों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही शामिल करने के संबंध में निर्देश ।

——0——

शासन के कतिपय विभागों के राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार घोषित है, जिन्हें प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाता है । शासन के ध्यान में यह बात आई है कि उक्त पुरस्कारों के लिए शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का नाम भी शामिल कर लिया जाता है । इस संबंध में शासन का यह मत है कि अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का नाम विभागों द्वारा घोषित राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार के लिए शामिल किया जाना चाहिए ।

2/ अतः इस संबंध में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान करता है :–

(i) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो **अथवा** उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो **अथवा** अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व–विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

निरंतर.....2.....

(iii) विभाग द्वारा सम्मान/पुरस्कार के संबंध में उनके द्वारा बनाए गए नियमों में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाए।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चत किया जाए।

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 10–53/2009/1/5 रायपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2009

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
4 समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5 सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
6 सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
7 रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8 सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य सूचना आयोग/विद्युत नियामक आयोग/अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग/युवा आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/गौ–सेवा आयोग,
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर,
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर,
13. निज सचित/निज सहायक, मान. मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर,
14. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय रायपुर।

7/12/09

(क्षेत्र सिंह)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-//अधिसूचना//-

रायपुर, दिनांक 15 अप्रेल, 2010

क्रमांक/एफ-2090/25-2/10/आजावि : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-10-53/2009/1/5 दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कारों में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही शामिल करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन , एतद् द्वारा, गुरु घासीदास सामाजिक चेतना सम्मान नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन-विलोपन एवं परिवर्धन करता है :

1. नियम 5 निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ (1) " निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा " को अतिष्ठित करते हुए " निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा " प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम 5 निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ (3) " संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप हों " को अतिष्ठित करते हुए " संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाता हो परंतु निर्णायक मण्डल द्वारा स्वविवेक से यदि किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उसके चयन के संबंध में मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा." प्रतिस्थापित किया जाता है.

3. नियम 6 -चयन की प्रक्रिया के उपनियम (2) की कण्डिका (झ) के उपरांत कण्डिका " (ञ) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी होने बाबत विवरण" स्थापित किया जाता है.

4. नियम 6 - चयन की प्रक्रिया के उपनियम (6) " निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा " के उपरांत " परंतु प्राप्त प्रविष्टियों में से यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान / पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रविष्टि विचार एवं चयन हेतु निर्णायक मण्डल (जूरी) के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा. " स्थापित किया जाता है.

5. नियम 8 -पुरस्कार की घोषणा - " निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था /व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति /संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी " को अतिष्ठित करते हुए " निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था /व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा राज्य शासन द्वारा इस नियम की कण्डिका 5 (3) के उपबंधों के अधीन की जाएगी " प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.अनिल चौधरी)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-2090/25-2/10/आजावि

प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक 15 अप्रेल, 2010

1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनाँदगाँव को राजपत्र में प्रकाशनार्थ.
10. आर्डर बुक

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग